

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक/321 /170/07/2/34

भोपाल, दिनांक

29 JAN 2009

प्रति,

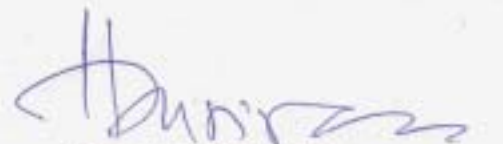
✓ प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,  
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय:- शासकीय निविदाओं में इलेक्ट्रॉनिक टेण्डरिंग व्यवस्था लागू करने के संबंध में ।

- संदर्भ:- 1. शासन का पत्र क्र. 2713/170/07/2/34, दिनांक 25.7.08  
2. आपकी टीप क्रमांक-20 दिनांक 19.1.09

-0-

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे । विभागीय कार्यों के रु. 10.00 लाख से अधिक राशि के टेण्डर को ई-टेण्डरिंग के माध्यम से कराये जाने हेतु शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 25.7.08 से निर्देशित किया गया था । आपके द्वारा प्रेषित टीप दिनांक 16.1.09 एवं 20.1.09 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, नलजल प्रदाय योजनाओं में पानी की टंकी आदि कार्यों के लिये आमंत्रित टेण्डरों में स्थानीय ठेकेदार जिनेके पास ज्यादा पूंजी नहीं है और जो ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया से अनविज्ञ है, के भाग नहीं लेने के कारण बार-बार टेण्डर करने के पश्चात भी सफलता नहीं मिल रही है ऐसी स्थिति में आपके द्वारा बतलाई गई व्यवहारिक कठिनाई एवं ई-टेण्डरिंग हेतु फार्म "ए" एवं फार्म "एफ" का अनुमोदन लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित होने के कारण ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु न्यूनतम राशि रुपये 10.00 लाख से बढ़ाकर रु. 25.00 लाख की जाती है । रु. 25.00 लाख से अधिक लागत के सभी कार्यों के लिये ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे ।

  
§ सस. सस. श्रीवास्तव §  
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

490/FVS  
29-1-09  
H. K. C.  
SE(MIS)

29/1  
E-W-C  
29/1/09

29/1  
H. K. C.  
29/1/09